<u>न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट(म०प्र०)</u> (समक्षः डी.एस.मण्डलोई)

<u>विविध आप. प्र.क्र.— 02 / 2014</u> संस्थित दिनांक — 12.04.2013

- श्रीमती प्रेमकला चिचाम पित श्री श्यामप्रकाश चिचाम, उम्र 32 साल, जाति गोंड, निवासी कूमादेही, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 2. कुमारी माही आत्माजा श्यामप्रकाश चिचाम, उम्र 2 वर्ष, जाति गोंड, निवासी कूमादेही, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

'— — — — — आवेदिकागण

-// <u>विरुद</u>्ध //-

श्यामप्रकाश चिचाम आत्मज श्री धनसिंह चिचाम, उम्र 39 साल, जाति गोंड, निवासी ग्राम झांगूल (दमोह) तहसील बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

–<u>:: आदेश ::</u>–

<u>(आज दिनांक 19/01/2015 को पारित किया गया)</u>

- (01) इस आदेश द्वारा आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र अन्तर्गत धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता, प्रस्तुति दिनांक 12.04.2013 का निराकरण किया जा रहा है।
- (02) आवेदिकागण का आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका कमांक 1 का विवाह अनावेदक के साथ दिनांक 11.08.2010 को गोंड जाति में प्रचलित रिति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ। आवेदिका कमांक 1 एवं अनावेदक पति पत्नी के रूप में ग्राम कुमादेही में निवास करने लगे। अनावेदक ग्राम कुमादेही में शिक्षक के पद पर पदस्थ था। वैवाहिक संबंधों के चलते आवेदिका कमांक 1 व अनावेदक के संसर्ग से

दिनांक 02.03.2011 को पुत्री कुमारी माही का जन्म हुआ। अनावेदक ने दहेज की मांग को लेकर आवेदिका के साथ मारपीट करता था और अनावेदक का स्थान्तरण ग्राम झांगूल (दमोह) में हो जाने से अनावेदक आवेदिका को यह कहकर चला गया कि वह कमरे की व्यवस्था करके आवेदिकागण को लेने आयेगा। अनावेदक न ही आवेदिकागण के बारे में कोई खोज खबर ली। पता करने पर पता चला कि अनावेदक कहने लगा कि वह आवेदिकागण को अपने साथ नहीं रखता, मुझे 35,000 / -, 36,000 / - रूपये तनख्वाह मिली है यदि वह दूसरी जगह विवाह करेगा तो उसे दहेज में बहुत सारा दहेज एवं मोटरसायकिल तथा नगदी रूपये भी मिलेंगे। आवेदिका के मॉ-बाप की हैसियत नहीं है कि वह आवेदिका को कुछ दे सके। आवेदिका ने अनावेदक को समझाने का काफी प्रयास किया। अनावेदक अकेले ही निवास कर रहा है और न ही अनावेदक आवेदिकागण के भरण-पोषण की व्यवस्था कर रहा है। अनावेदक एक शिक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुये 35,000 / — प्रतिमाह वेतन प्राप्त करता है तथा अनावेदक की ग्राम कटंगी में कृषि भूमि है, जिससे उसे दो—ढायी लाख रूपये की अतिरिक्त वार्षिक आमदनी होती है। आवेदिका क्रमांक 1 कोई काम धंधा नहीं कर सकती है। वह गांव में लोगों से कर्ज लेकर अनावेदक द्वारा रखे गये कमरे में ही रहते हुये निवास करती है तथा वह उस कमरे का किराया देने में भी असमर्थ है। आवेदिका कमांक 2 दूध पीती एक छोटी से बच्ची है, उसके भरण-पोषण कपड़े लत्ते, दवाई ईत्यादि में भी खर्च आता है। इस कारण से आवेदिका कुमांक 4 को 5,000 / – रूपये तथा आवेदिका क्रमांक 2 को 4,000/— रूपये भरण—पोषण की राशि की आवश्यकता होती है, जिसे देने का दायित्व अनावेदक पर है। आवेदिका क्रमांक 1 को अनावेदक से 5,000 / — रूपये एवं आवेदिका क्रमांक 2 को 4,000 / — रूपये प्रतिमाह भरण—पोषण राशि अनावेदक से दिलाई जावे।

- (03) अनावेदक दिनांक 24.06.2014 को अनुपस्थित रहा। अनावेदक की अनुपस्थित के कारण अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
- (04) आवेदिका के भारण-पोषण आवेदन-पत्र का निराकरण करने हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :--
 - (1) क्या आवेदिका क्रमांक 1 अनावेदक की वैध विवाहिता

पत्नी एवं आवेदिका क्रमांक 2 वैध सन्तान है ?

- (2) क्या आवेदिकागण का अनावेदक से पृथक रहने का पर्याप्त कारण है तथा अनावेदक सक्षम होते हुए भी आवेदिकागण का भरण—पोषण करने में उपेक्षा बरत रहा है ?
- (3) क्या आवेदिकागण अनावेदक से भरण पोषण राशि प्राप्त करने की अधिकारी है ?
- (4) सहायता एवं व्यय ?

–:: <u>सकारण – निष्कर्ष</u> ::–

विचारणीय बिन्दु कमांक 1, 2 एवं 3 :-

- (05) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत् रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क. 1, 2 एवं 3 का एक साथ विचार किया जा रहा है।
- (06) आवेदिका साक्षी श्रीमती प्रेमकलाबाई (अ.सा. 1) का कहना है कि अनावेदक श्यामप्रकाश से उसकी शादी दिनांक 11.08.2010 को जाति रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी। विवाह के उपरान्त अनावेदक के साथ ससुराल कुमादेही दो साल तक रही। दो वर्ष तक अनावेदक ने उसे अच्छे से रखा। दाम्पत्य जीवन के दौरान अनावेदक से उसे लड़की दिनांक 02.03.2011 को पैदा हुई। अनावेदक ने बोला कि लड़का पैदा नहीं हुआ। अनावेदक ने उसे दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर घर से निकाल दिया। अनावेदक वर्तमान में शिक्षक के पद पर शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल दमोह में पद पर पदस्थ है तथा प्राचार्य है। अनावेदक को 35,000/— रूपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है। अनावेदक के द्वारा उसकी और उसकी पुत्री कुमारी माही के भरण—पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उसे प्रतिमाह 5,000/— रूपये एवं उसकी पुत्री कुमारी माही को प्रतिमाह 4,000/— रूपये भरण—पोषण राशि का खर्च आता है, जो राशि वह अनावेदक से प्राप्त करना चाहती है। अनावेदक शासकीय सेवा में हायर सेकेण्डरी दमोह में कार्यरत् है, जिससे उसे 33,159/— रूपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। उसकी पुत्री माही का जन्म प्रमाण पत्र प्रदर्श पी—01 है, वेतन

प्रमाण पत्र प्रदर्श पी—02 है। अनावेदक और उसके बीच हुये विवाह के समय का फोटो काफी प्रदर्श पी—03 एवं प्रदर्श पी—04 तथा प्रदर्श पी—05 व प्रदर्श पी—06 है। अनावेदक ने अपने विभाग में उससे विवाह करने के संबंध में शपथ पत्र पेश किया था। (07) आवेदिका के अभिवचनों का समर्थन करते हुये आवेदिका साक्षी धर्मेन्द्रसिंह (आ.सा. 2) का भी कहना है कि आवेदिका कमांक 1 एवं अनावेदक का विवाह वर्ष 2010 में जाति रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था। अनावेदक श्यामप्रकाशा ग्राम कुमादेही में शासकीय स्कूल में शिक्षक था। विवाह के बाद आवेदिका एवं अनावेदक ग्राम कुमादेही में पति—पत्नी होकर निवास किये। वर्ष 2011 में आवेदिका प्रेमकलाबाई एवं अनावेदक श्यामप्रकाश के संसर्ग से पुत्री कुमारी माही का जन्म हुआ। अनावेदक ने आवेदिका को लड़का नहीं होता कहकर मारपीट कर घर से निकाल दिया। आवेदिका के आय का कोई साधन नहीं है। अनावेदक को 30—35 हजार रूपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है। आवेदिका प्रेमकलाबाई को प्रतिमाह पांच हजार रूपये एवं पुत्री कुमारी माही को चार हजार रूपये प्रतिमाह भरण—पोषण राशि पर खर्च आता है। अनावेदक आवेदिकागण का भरण—पोषण नहीं कर रहा है और न ही आवेदिकागण को साथ में रख रहा है।

(08) अनावेदक प्रकरण में अनुपस्थित रहने के कारण आवेदिका की साक्ष्य का खण्डन नहीं होने से आवेदिका क्रमांक—1 अनावेदक के विवाहित पत्नी है और आवेदिका क्रमांक 2 अनावेदक की पुत्री है। इसका खण्डन नहीं हुआ है। अनावेदक ने आवेदिका को उसके साथ रखने से मना कर दिया और आवेदिका किराये के मकान में रह रही है। इस बात का भी खण्डन नहीं हुआ है। आवेदिका की ओर से प्रस्तुत अनावेदक के वेतन प्रमाण पत्र की छायाप्रति के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि अनावेदक प्रतिमाह 29,532/— रूपये वेतन प्राप्त करता है। अनावेदक आवेदिका एवं आवेदिका की पुत्री का भरणपोषण करने में सक्षम व्यक्ति भी होना प्रमाणित होता है और आवेदिका अनावेदक से पर्याप्त कारण से प्रथक रह रही है। यह साक्ष्य विवेचना से परिलक्षित होता है। अतः आवेदिका उसका और उसकी पुत्री के भरण—पोषण की राशि अनावेदक से प्राप्त करने की अधिकारी होना प्रमाणित होता है।

विचारणीय बिन्दू कमांक 4 :-

- एवं 3 के निष्कर्ष के आधार पर विचारणीय बिन्दू क्रमांक 1, 2 आवेदिकागण यह प्रमाणित करने में सफल रही है कि आवेदिका क्रमांक 1 का विवाह अनावेदक के साथ दिनांक 11.08.2010 को गोंड जाति में प्रचलित रिति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ। आवेदिका क्रमांक 1 एवं अनावेदक पति पत्नी के रूप में ग्राम कुमादेही में निवास करने लगे। अनावेदक ग्राम कुमादेही में शिक्षक के पद पर पदस्थ था। वैवाहिक संबंधों के चलते आवेदिका क्रमांक 1 व अनावेदक के संसर्ग से दिनांक 02.03.2011 को पुत्री कुमारी माही का जन्म हुआ। अनावेदक ने दहेज की मांग को लेकर आवेदिका के साथ मारपीट करता था और अनावेदक का स्थान्तरण ग्राम झांगूल (दमोह) में हो जाने से अनावेदक आवेदिका को यह कहकर चला गया कि वह कमरे की व्यवस्था करके आवेदिकागण को लेने आयेगा। अनावेदक न ही आवेदिकागण के बारे में कोई खोज खबर ली और न ही भरण-पोषण की व्यवस्था की।
- उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर आवेदिकागण की ओर से प्रस्तुत (10)आवेदन पत्र अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 स्वीकार कर अनावेदक को आदेशित किया जाता है कि वह आवेदिका क्रमांक 1 को भरण-पोषण हेतु प्रतिमाह 2,500 / - (दो हजार पांच सौ रूपये) एवं आवेदिका क्रमांक 2 को भरण-पोषण हेतु प्रतिमाह 2000 / – (दो हजार रूपये) आदेश दिनांक से अदिकरें।
- आदेश की एक प्रति आवेदिकागण को निःशुल्क प्रदान की जावे। (11)

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट